कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2020—2021

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था हेतु ई—निविदा

(प्रथम आमंत्रण)

निविदा क्रमांक— 39/2021—22

कीमत रू. 1000/—
(रूपये एक हजार मात्र)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क 39/2021–22

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	24-12-2020 11.00 AM	13-01-2021 5.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	24-12-2020 11.00 AM	13-01-2021 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	24-12-2020 11.00 AM	14-01-2021 5.00 PM	
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	15-01-2021 12.30 PM on-wards	–	
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	15-01-2021 12.30 PM on-wards	–	
6	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	–	

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104, +91–9179705483, +91–9644695933, +91–9425471040

निविदाकार जो ऑनलाईन दस्तावेज पोर्टल में अपलोड करें उन्ही दस्तावेजों की हार्डकॉपी भी दिनांक 14.01.2021 को सायंकाल 05.00 बजे तक कार्यालय संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय में जमा कर सकते हैं।

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–

1. अमानत राशि रूपये 20000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।
4. वित्तीय वर्ष, 2017–18, 18–19 एवं 19–20(एसेसमेंट ईअर 2018–19, 19–20 एवं 20–21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।

7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
8. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 05.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2019–20,(एसेसमेंट ईयर 2020–21) सत्यापन हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
9. एफ.एस.एस.आई सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
10. पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो निविदा प्रकाशन दिनांक के पश्चात् जारी किया गया हो।
11. खाद्य विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की छायाप्रति।

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था हेतु ई–निविदा हेतु नियम एवं शर्ते

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व **चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था** हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाऍ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 1000.00 (एक हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 20,000/–(बीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार होगी, उसे अनुबंध के साथ रू. 50,000.00(पचास हजार मात्र) का डीडी अमानत राशि के रूप में जो **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा** के नाम से देय हो जमा करनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय हित में निविदा समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने एवं निविदा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
8. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. निविदा की अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। विशेष परिस्थितियों में निविदा की अविधि बढ़ाई/घटाई जा सकेगी।
10. **कैन्टीन का आरक्षित न्यूनतम किराया (मिनिमम रिजर्व मंथली रेन्ट) राशि रू. 30000.00 प्र. तिमाह(तीस हजार) (बिजली, पानी शामिल) होगा, जिस निविदाकार की किराया दर सबसे अधिक होगी उसे निविदा आवंटित की जावेगी।** किराया की राशि अग्रिम के रूप में माह की 05 तारीख तक स्वषासी निधि में जमा करना अनिवार्य होगा। 05 तारीख तक जमा न करने की दशा में अगले दिन से 100 रू प्रतिदिन आर्थिक दण्ड देना होगा।
11. निविदाकार को फर्नीचर एवं बैठक व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

12. कैन्टीन के रखरखाव एवं साफ सफाई की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। भवन में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ किए जाने पर धरोहर राषि से मेन्टेनेस की राषि काट ली जावेगी।
13. कैन्टीन में चिकित्सकों, कर्मचारियों, छात्रों एवं सामान्य जनों हेतु बैठक व्यवस्था पृथक पृथक होगी।
14. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ ड्रेस कोड का पालन करना होगा। रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एप्रेन एंव मास्क तथा टोपी लगाना अनिवार्य होगा।
15. कैन्टीन को वातानुकूलित बनाने हेतु सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निविदाकार को करनी होगी।
16. कैन्टीन प्रातः 05 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खुली रहेगी, परंतु चाय की व्यवस्था 24 घंटे करनी होगी।
17. निविदाकार को गर्म खाद्य पदार्थों हेतु माइक्रोवेव ओवेन/वार्म डिस्पेन्सर लगाना अनिवार्य होगा।
18. निविदाकार को सभी खाद्य पदार्थ गरम और ताजे उपलब्ध कराने होंगे तथा ताजे बने उत्पादों जैसे समोसा, चाय हेतु पेपर कप एवं प्लेट का उपयोग कराना होगा। म्यूनिसिपल वेस्ट हेतु डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा तथा नगर निगम के निर्धारित तरीके से डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
19. निविदाकार को जल्द खराब होने वाले आईटम/शीतल पेय/पैक्ड जूस हेतु स्वयं के व्यय पर कामर्शियल फ्रिज की व्यवस्था करनी होगी।
20. किसी भी पैक्ड आईटम जैसे— चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ/शीतल पेय एवं मिनरल वाटर प्रिंट रेट अथवा उससे कम में ही उपलब्ध कराना होगा। अधिक राशि की वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा तथा सुधार न होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी। निविदाकार को बेचे जाने वाले खाद्य सामग्री की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
21. कार्य संतोषजनक न होने पर एक वर्ष के पूर्व भी एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कराया जा सकेगा।
22. पानी स्वच्छ एवं जीवाणुरहित होना चाहिए। इस हेतु निविदाकार को स्वयं के व्यय पर आर.ओ. वाटर सिस्टम लगाना होगा।
23. निविदा स्वीकृत होकर कार्य हेतु आदेशित करने पर कार्य न करने की दशा में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
24. भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बाल श्रमिक किसी भी दशा में कार्य पर नही लगाए जावेंगे।
25. निविदा की शर्तें भलीभॉति पढ एंव समझने के पश्चात् ही निविदा भरी जावे। निविदा में मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर निविदा निरस्त की जावेगी।
26. कैन्टीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सूची एवं दर पर ही विक्रय करने की अनिवार्यता होगी।
27. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत कंटीन संचालन में समस्त प्रोटोकॉल का पालन सभी कर्मचारियों एंव आगंतुकों के लिए अनिवार्य एंव बंधनकारी होगा। इस हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाएं नि. विदाकार को स्वयं करनी होगी। पालन न होने की दशा में निविदाकार सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा।

27. दरें निम्नानुसार होंगीः–

Sr. No.	ITEM	Maximum RATE (IN RS.)
1.	गरम कॉफी फुल कप	20-00
2.	गरम कॉफी हाफ कप	10-00
3.	चाय फुल कप	10-00
4.	चाय हाफ कप	05-00
5.	समोसा एक नग 150 ग्राम	07-00
6.	आलू बंडा एक नग 150 ग्राम	07-00
7.	कचौरी एक नग 150 ग्राम	07-00
8.	बटर टोस्ट लार्ज ब्रेड	50-00
9.	फ्रेंच टोस्ट	60-00
10.	बटर ब्रेड	30-00
11.	पोहा	10-00
12.	लस्सी एक गिलास	20-00
13.	मट्ठा	10-00
14.	मैंगो शेक	40-00
15.	पाईनएप्पल शेक /मिक्स	40-00
16.	मिल्क शेक	35-00
17.	कोल्ड ड्रिंक	MRP
18.	आइस क्रीम	MRP
19.	मसाला डोसा	60-00
20.	सादा डोसा	50-00
21.	दही बड़ा (2 पीस)	30-00
22.	वेज सैंडविच	40-00
23.	उबला अंडा (2 पीस)	15-00
24.	आमलेट 2 अंडे	20-00
25.	छोला भटूरा	70-00
26.	वेजेटेबल सूप/कॉर्न सूप/चायनीज	40-00
27.	टोमेटो सूप	30-00
28.	हॉट एण्ड सॉर सूप	20-00
29.	बॉइल्ड राइस फुल लोंग ग्रेन	40-00
30.	बॉइल्ड राइस हाफ लोंग ग्रेन	40-00
31.	फ्राइड राईस चायनीज	80-00
32.	फ्राइड राईस चायनीज हाफ	50-00
33.	जीरा राईस फ्राईड फुल	80-00
34.	जीरा राईस फ्राईड हाफ	50-00
35.	तवा रोटी	06-00
36.	तवा रोटी विथ बटर	10-00
37.	सादा पराठा अचार के साथ	20-00
38.	आलू पराठा दही के साथ	30-00
39.	दाल प्लेन फुल	60-00
40.	दाल फ्राईड फुल	100-00
41.	दाल फ्राईड हाफ	60-00
42.	मिक्सड वेज/मौसमी सब्जी फुल	100-00
43.	मिक्सड वेज/मौसमी सब्जी हाफ	60-00
44.	मटर पनीर फुल	140-00
45.	शाही पनीर	140-00
46.	मषरूम चिली	140-00

47.	पनीर चिली	140-00
48.	बटर पनीर मसाला	140-00
49.	मटर पनीर हाफ	75-00
50.	गोभी आलू चिली	100-00
51.	दाल फ्राई	50-00
52.	छोले/राजमा राईस	80-00
53.	मंचूरियन/फ्राईड राइस	100-00
54.	राईस एग करी	100-00
55.	दही फुल क्रीम 250 ग्राम	50-00
56.	रायता फुल	60-00
57.	सलाद फुल	60-00
58.	सलाद हाफ	35-00
59.	पापड़	7-00
60.	पापड़ फ्राइड	10-00
61.	अंडा करी 2 अंडे	60-00
62.	वेज स्प्रिंग रोल	100-00
63.	चाउमीन फुल	60-00
64.	चाउमीन हाफ	40-00
65.	मैगी प्लेन	30-00
66.	मिक्स वेज मैगी	50-00
67.	फ्रेंच फ्राईस	50-00
68.	मंचूरियन फुल	100-00
69.	मंचूरियन हाफ	60-00
70.	पोटेटो वेजेस	60-00
71.	वेजिटेबल पिज्जा	100-00
72.	एग सेंडविच	60-00
73.	आलू टोस्टर	50-00
74.	एग भुर्जी	60-00
75.	वेजेटेबल उपमा	50-00
76.	वेज उत्थपम	60-00
77.	आलू मटर	60-00
78.	पनीर भुर्जी	80-00
79.	पुलाव वेज	120-00
80.	पुलाव पनीर	125-00
81.	वेज विरयानी	100-00
82.	एग विरयानी	120-00
83.	खिचड़ा	100-00
84.	अन्य पैक्ड पेय/खाद्य सामग्री	MRP

28. किसी भी शासकीय/अशासकीय/कार्पोरेट संस्थान में कैन्टीन चलाने के अनुभव प्राप्त नि. विदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी। (भारतीय रेल/इंडियन कॉफी हाउस/शासकीय/अशासकीय चिकित्सालय/महाविद्यालय आदि)

29. निविदाकार को शर्त क्रं. 27 में दर्शाई गई सामग्री के अतिरिक्त यदि कोई खाद्य सामग्री विक्रय करनी होगी तो प्रथम पक्ष से उसकी अनुमति लेना होगी तथा उनकी दरें प्रथम पक्ष की सहमति से निर्धारित की जावेंगी।

30. कैंटीन में मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐंसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदाकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि को राजसात किया जा सकेगा।

31 कैन्टीन हेतु संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के भूतल में स्थान उपलब्ध है, जिसका निरीक्षण इच्छुक निविदाकार निविदा डालने के पूर्व कर सकते हैं।

32. भविष्य में यदि भारत शासन/राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त फर्म को केंटीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु नामित किया जाता है, तो 03 माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। तथा इसके विरूद्ध निविदा कार किसी भी न्यायालय अथवा अन्य फोरम में दावा प्रस्तुत नही कर सकेगा।

33. समस्त विवाद रीवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निपटारित किए जावेंगे।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क्र. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	अमानत राशि रूपये 20000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।				
4	वित्तीय वर्ष, 2017–18, 18–19 एवं 19–20(एसेसमेंट ईअर 2018–19, 19–20 एवं 20–21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
6.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 05.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2019–20,(एसेसमेंट ईयर 2020–21) सत्यापन हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)				
8	एफ.एस.एस.आई सर्टिफिकेट की छायाप्रति।				
9	खाद्य विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की छायाप्रति।				
10	100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति) नोटराईज्ड				
11	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो निविदा प्रकाशन दिनांक 24.12.2020 के पश्चात् जारी किया गया हो।				

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/– रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे उपर राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
8. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नही है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.................................. पता......................

संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम................. ....व पता...

2. गवाह का नाम................................ ....

संस्था का नाम एवं पता...व पता....... ....

मोबाईल नं

ई–मेल–

बैंक खाता क्र.

आई.एफ.एस.कोड

¼doy vkuykbu Hkjk tkos½

¼nj i=d½

}kjk %&---

----

ifr]
l;Dr lpkyd ,o v/kh{kd
xk/kh Lekjd fpfdRLkky;
jhok e-i-

fOk"k;%& dUVhu 0;oLFkk grq fufonk A

lnHk%& vkidh dk;ky; dh bZ&fufonk vkea=.k lpuk dh-----------------------------------fnukad

egkn;]

dUVhu 0;oLFkk grq fufonk dh fuca/ku ,oa 'krksZ dks eU; djrk g, viuh ekfld fdjk;k grq fuEukuqlkj nj iLrqr dj jgk g A

कैन्टीन का मासिक किराया :-

नोटः— कैन्टीन का मासिक किराया मिनिमम रिजर्व 30000.00 (तीस हजार प्रतिमाह—बिजली पानी शामिल) होगा, इससे अधिक राशि भरने वाले जिस निविदाकार की दर सबसे अधिक होगी उसे निविदा आवंटित की जावेगी।

fufonkdrk@lsoknkrk ds gLrk{kj
uke ,oa iw.kZ irk
lLFkk dh lhy